



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243233
CG-DL-E-27012023-243233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]
No. 407]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 421(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्टर आफिस, स्टेशन रोड, परभणी (NH61) के कि.मी 19.22 से 34.434 महाराष्ट्र राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH61 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्यूटी कलेक्टर कम लैंड	राष्ट्रीय राजमार्ग	महाराष्ट्र	परभणी	परभणी	1 आसोला

	एक्विजिशन परभणी ()	संख्या NH61 के कि.मी. 19.22 से 34.434 तक				2	पारवा
--	---------------------------	---	--	--	--	---	-------

[फा. सं. NH-12014/78/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 421(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 19.22 to 34.434 of Collector Office, Station Road, Parbhani (NH61) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH61 in the State of MAHARASHTRA**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village					
1	2	3	4	5	6	7					
1	Deputy Collector Cum Land Acquisition Parbhani)	19.22KM To 34.434KM	MAHARASHTRA	PARBHANI	<table><tr><td rowspan="2">Parbhani</td><td>1</td><td>Asola</td></tr><tr><td>2</td><td>Parawa</td></tr></table>		Parbhani	1	Asola	2	Parawa
Parbhani	1	Asola									
	2	Parawa									

[F. No. NH-12014/78/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director